रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 123] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 20, 1982/चैत्र 30, 1904
No. 123] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 20, 1982/CHAITRA 30, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1982

सं. 130/82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 323(अ) :—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजस्व और अंकेक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 137/77 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 19 की उप-मद 1 के अधीन आने वाले सूती फैब्रिक को, जिनका प्रसंस्करण शक्ति या भाप की सहायता के बिना किया गया है, उन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) तथा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) दोनों के अधीन उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ;

परन्तु यह कि इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे सूती फैब्रिक की निकासी के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी जिन पर वित्तीय वर्ष के दौरान यंत्रों की सहायता से चिरंजन, रंगाई या छपाई की प्रक्रिया की जाती है,—

(क) यदि देश में उपभोग के लिए निकासी किए गए ऐसे सूती फैब्रिक की मात्रा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान—

(1) विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से या

(2) एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से,

(1) ऐसे सूती फैब्रिक की दशा में जिन पर चिरंजन की प्रक्रिया की है पन्द्रह लाख वर्गमीटर से, या

(2) ऐसे सूती फैब्रिक की दशा में जिन पर रंगाई या छपाई का या दोनों प्रक्रियाएं की गई हैं छह लाख वर्गमीटर से अधिक है, या

(ख) यदि देश में उपभोग के लिए निकासी किए गए ऐसे सूती फैब्रिक की मात्रा, वित्तीय वर्ष में किसी दिन—

(1) किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से, या

(2) एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से,

(1) ऐसे सूती फैब्रिक की दशा में जिन पर विरंजन की प्रक्रिया की गई है पांच हजार वर्गमीटर से, या

(2) ऐसे सूती फैब्रिक की दशा में जिन पर रंगाई या छपाई की या दोनों प्रक्रियाएं की गई हैं दो हजार वर्ग मीटर से अधिक है ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना में ऐसे सूती फैब्रिक की मात्रा जिन पर विराजना की प्रक्रिया की गई है और उस कारखाने में उपयोग किए गए हैं जिसमें ऐसे फैब्रिक का रंगाई और छपाई या दोनों प्रक्रियाओं के लिए इस प्रकार विरंजन किया जाता है, ऐसे सूती फैब्रिक की, यथास्थिति, पन्द्रह लाख वर्गमीटर या पांच हजार वर्ग-मीटर की सीमाओं का अवधारण करने के लिए, गणना में नहीं ली जाएगी ।

[फा. सं. 357/14/81-टी. आर. यू.]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 1982

No. 130|82-Central Excise

G.S.R. 323(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 137|77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, the Central Government hereby exempts cotton fabrics, falling under sub-item 1 of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), processed without the aid of power or steam, from the whole of the duty of excise leviable thereon both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise, (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) :

Provided that nothing contained in this notification shall apply in respect of clearances of cotton fabrics, which are subjected to the process of bleaching, dyeing or printing with the aid of machines, effected during a financial year,—

(a) if the quantity of such cotton fabrics cleared, if any, for home consumption during the preceding financial year —

(i) by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, or

(ii) from any factory by or on behalf of one or more manufacturers,

had exceeded —

(1) fifteen lakh square metres in the case of cotton fabrics subjected to the process of bleaching, or

(2) six lakh square metres in the case of cotton fabrics subjected to the process of dyeing or printing or both; or

(b) if the quantity of such cotton fabrics cleared for home consumption on any day in the financial year —

(i) by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, or

(ii) from any factory by or on behalf of one or more manufacturers,

exceeds —

(1) five thousand square metres in the case of cotton fabrics subjected to the process of bleaching, or

(2) two thousand square metres in the case of cotton fabrics subjected to the process of dyeing or printing or both.

Explanation.—In this notification, the quantity of cotton fabrics subjected to the process of bleaching and used within the factory in which such fabrics are so bleached for the process of dyeing or printing or both shall not be taken into account for determining the limits of fifteen lakh square metres or, as the case may be, five thousand square metres of such cotton fabrics.

J. K. BATRA, Under Secy.
[F. No. 357/14/81-TRU]

सं० 131/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 324 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व और बैंककारी विभाग तथा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में, संशोधन की जाएगी ।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
1	2	3
1.	136/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क ता० 18 जून, 1977	उक्त अधिसूचना में, प्रथम परन्तुक में खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "(iia) ऐसे सूती फैब्रिक की दशा में जो शक्ति या वाष्प की सहायता के बिना प्रचालित मशीनों की सहायता से प्रसंस्कृत किए जाते हैं, सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित दर उस दर से पचपन प्रतिशत से कम कर दी जाएगी ।"
2.	226/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, ता० 15 जुलाई, 1977	उक्त अधिसूचना में, प्रथम परन्तुक के, खण्ड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "(iiia) ऐसे सूती फैब्रिक की दशा में जो शक्ति या वाष्प की सहायता के बिना प्रचालित मशीनों की सहायता से प्रसंस्कृत

1	2	3
		किए जाते हैं, सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित दर, उस दर से पचपन प्रतिशत से कम कर दी जाएगी''।

[फा० सं० 357/14/81-टी०आर०यू०]

जे० के० बत्रा अवर सचिव

No. 131/82-Central Excises

G.S.R. 324(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India, in the Department of Revenue and Banking and in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be further amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment
1	2	3
1.	136/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.	In the said notification, in the first proviso after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:— "(iia) in the case of cotton fabrics processed with the aid of machines operated without the aid of power or steam, the appropriate rate of duty as specified in the Table, shall be reduced by fifty per cent. of such rate."
2.	226/77-Central Excises, dated the 15th July, 1977.	In the said notification, in the first proviso, after clause (iii), the following clauses shall be inserted, namely :— "(iiia) in the case of cotton fabrics processed with the aid of machines operated without the aid of power or steam the appropriate rate of duty as specified in the Table, shall be reduced by fifty per cent. of such rate."

[F.No. 357/14/81-TRU]

J. K. BATRA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982